भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 925

सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

महिला श्रमबल की भागीदारी

925. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:
श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2021 में कामकाजी उम्र की केवल 19% भारतीय महिलाएं श्रम बल में शामिल थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसके क्या कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने महिला श्रम बल की भागीदारी दर बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से अवगत है जिसमें कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देखभाल सेवा अर्थव्यवस्था में और निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मुद्दे के समाधान के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उनकी प्रभावकारिता का समर्थन करने वाले आंकडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार महिलाओं, विशेषकर देखभाल की ज़िम्मेदारियां निभाने वाली महिलाओं को औपचारिक रोज़गार देने में सहायता करने के लिए लक्षित कार्यक्रम बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भारत में रोजगार/बेरोजगारी संकेतक का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2021-22 में 32.8% और 2023-24 में 41.7% हो गई।

रोजगार सृजन के साथ-साथ विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और तदनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई पहल की गई हैं। इन प्रावधानों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर उपलब्ध है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण) और एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) जैसी योजनाएं शामिल हैं। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत शुरुआत से लेकर 31.10.2024 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 1.57 करोड़ है। लगभग 9 करोड़ महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिसेक साथ ही जमानत-मुक्त ऋण का प्रावधान भी है।

जहां तक देखरेख अर्थव्यवस्था का संबंध है**,** महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण हेतु श्रम संहिताओं में भुगतान मातृत्व अवकाश**,** शिशुगृह सुविधा**,** समान मजदूरी आदि जैसे अनेक प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी**,** 2024 में "नियोक्ताओं के लिए महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सलाह" भी जारी किया है। इस सलाह में अन्य बातों के साथ-साथ पितृत्व अवकाश**,** माता-पिता अवकाश**,** परिवार आपातकालीन छुट्टी और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूल उपायों सहित पुरुषों और महिलाओं**,** दोनों के लिए रोजगार और देखभाल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा**,** केंद्रीय बजट (2024-25**)** ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल स्थापित करने और शिशुगृहों स्थापित करने की घोषणा की।

*****